

Continuation Note Sheet

27/7/20

श्राध्वी हरीराम द्वारा इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल प्रकरण में प्रथिना पत्र पेश करने पर पञ्जाब पेशी में भी कई श्राध्वी के निवेदन पर मूल प्रकरण अन्तर्गत धारा 251A RTA खारिज किया जा चुका है। मूल प्रकरण के खारिज होने से इस प्रकरण को कोई आधिक्य शेष नहीं रहे जाता है अतः प्रथम के निवेदन पर प्रकरण को खारिज स्टेप पर खारिज किया जाता है दिनांक 19.9.2019 को जारी आस्थापनी निवेदन आदेश को निरस्त किया जाता है पञ्जाब धारा 7(1) से कागद लेकर बाद तकालीन प्रथम मूल प्रकरण सं. 110/19 रहे।

[Handwritten signature]

Idhar
&
 27/7/20
 (R.K. Singh)
 B

(जुलिया सिंहरा)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीगंगानगर